प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम स्वरूप पुत्र श्री होरीलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-11587/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-01.12.2022) दिनांक-30.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम स्वरूप पुत्र श्री होरीलाल, मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, वर्तमान निवासी ललपुईया साहब सिंह, थाना-न्यूरिया जनपद-पीलीभीत का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चे, सूजा, बल्लम्, लाठी से मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212, 223/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 434/149, 307/149, 302/149, 506 व 7 किमिनल लॉ एक्ट, 27ए एक्ट एवं 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष जिसे मा0 उच्च न्यायाधीश (एससी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत द्वारा दिनांक 23.01.2004 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक-13.11.2022 तक अपरिहार 21 वर्ष, 07 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा जनपद स्तर पर सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 15.09.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

4- प्राबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चे, सूजा, बल्लम, लाठी से मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर एंव 07 अन्य व्यक्तियों को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.gov.in

रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामस्वरूप पुत्र होरीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम स्वरूप (बन्दी संख्या-47610) पुत्र श्री होरीलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-346/2025/792 (1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-346/2025/792/22-2-2024-17(79)/2016

दिनांक 09 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम स्वरूप पुत्र श्री होरीलाल, मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, वर्तमान निवासी ललपुईया साहब सिंह, थाना-न्यूरिया जनपद-पीलीभीत का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चे, सूजा, बल्लम्, लाठी से मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 07 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212, 223/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 434/149, 307/149, 302/149, 506 व 7 किमिनल लॉ एक्ट, 27ए एक्ट एवं 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष जिसे मा0 उच्च न्यायाधीश (एससी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत द्वारा दिनांक 23.01.2004 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक-13.11.2022 तक अपरिहार 21 वर्ष, 07 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा जनपद स्तर पर सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 15.09.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्राबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 10.03.2001 को बंदी ने अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमन्चे, सूजा, बल्लम, लाठी से मोतीराम, देवीराम, हेमराज, चुन्नीलाल, महेन्द्रपाल नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर एंव 07 अन्य व्यक्तियों को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामस्वरूप पुत्र होरीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।